श्रम आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर – 452007

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19 नवम्बर 2018

मध्यप्रदेश के समस्थ विधानसभा क्षेत्रों के आम निर्वाचन हेतु दिनांक 28.11.2018 (बुधवार) को संपूर्ण प्रदेश में मतदान होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कामगारों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135–ख का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किये हैं कि प्रदेश की समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या केजुअल (आकस्मिक) श्रमिक श्रेणी का ही हो, जिसे विधानसभा चुनावों में मतदान करने का हक हैं, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहॉ आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।

तथापि यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यो में नियोजित है, जिसकी अनुपस्थिति से कोई खतरा या सारवान हानि (SUBSTANTIAL LOSS) हो सकती हो तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा यथापि ऐसे व्यक्तियों को भी मतदान हेतु बारी–बारी से सुविधा प्रदान की जाना चाहिए किन्तु यह ध्यान रहे कि यह सुविधा इस प्रकार की हो कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

उपर्युक्त के परिपालन हेतु राज्य के श्रम आयुक्त द्वारा सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को आगामी विधानसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं बगैर किसी बाधा के सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त प्रावधान का परिपालन करते हुए सवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करेंगे। चूँकि प्रत्येक नियोक्ता को व्यक्तिगत रूप से सूचना दिया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है।

यदि किसी नियोजक द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर रू. 500/– तक जुर्माना किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसमें एक माह तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है।

19/11/2018

(राजेश बहुगुणा)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

निरंतर..2

//2//

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की और उनके परिपत्र क्रमांक 84(2)/चार/2018/11818 दिनांक 20/09/2018 एवं 20/2018/चार/सा.निर्देश/13240 दिनांक 06/10/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ सन्प्रेषित।

2. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। **कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशित कराने का कष्ट करें।**

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, इन्दौर धार, झाबुआ, बुरहानपुर, खरगोन, खण्डवा, बडवानी, अलीराजपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर (मालवा), मंदसौर, नीमच, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा सिंगरोली, सीधी, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना अशोकनगर, दतिया, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, शहडोल, उमरिया, डिण्डोरी, अनूपपुर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड की ओर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों के परिपालन में सूचनार्थ एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/2018

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर